

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 6651

नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, दिसम्बर 27, 2012/पाँच 6, 1934

No. 665]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012/PAUSHA 6, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

( नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 932(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (वर्ग 1 एवं वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, सह नगर एवं ग्राम नियोजक एवं सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक (समूह 'क' राजपंत्रित) भर्ती नियम, 2012 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना.- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिश्य है ।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पर पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 5. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शिक्त. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

and them is, who has no be madeled

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
(1) 1. अपर मुख्य नियोजक	(2) 1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समृह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	(4) वेतन वैण्ड-4 ₹37400-67000/- + ग्रेड वेतन ₹8700/-	पद (5) चयन	आयु-सीमा (6) लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नितः वंतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वंतन ₹7600/- में उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा वाले नगर एवं ग्राम नियोजक जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रण और विस्तृत सर्वेक्षण एवं सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन सेवा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लिया हो।  टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित समित (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):  1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ्य लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;  2. शहरी विकास मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परासर्श करना आवश्यक है।

उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार
   पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/- या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या आवासीय या देश या ग्रामीण या अवसंरचना या क्षेत्रीय या परिवहन या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री; या
- (ii) नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन में बारह वर्ष का व्यवसायिक अनुभव, जिसमें से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में शहरी और क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित

का प्रभार हो - सदस्य;

 मुख्य नियोजक,
 नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य।

FE.

per our our representation of the per-

King to a Pill Street

PARTIES IN SHE SHE HERE'S

Man with the property with the sale

DESIGN STATE OF THE STATE OF TH

Same From Fi

Market to the state of the state of the

when the training the second second second

CONTRACTOR PER IN

Shark STV - 10 - 7 TO - 3 d

Services between a tre deligible

Brusser of Brusser Line Steel Brown

and done break to from \$100

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Sex established to the

479361/12-2

करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव अवश्य हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड वेतन में विलय किया गया हो और जहां इसका फायदा केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान विना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. नगर एवं ग्राम नियोजक	6* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	बेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹7600/-	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्टिकम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या आवासीय या देश या प्रामीण या अवसंरचना या क्षेत्रीय या परिवहन या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री।  (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या संविधिक संगठनों में शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन या विकास नियंत्रण या नियोजन विधान या भौगोलिक सूचना प्रणाली का दस वर्ष का अनुभव हो।  टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	आयु:-नही शैक्षिक अर्हताएं:-हां		द्वारा ।
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

वांछनीय: नगर नियोजक संस्थान (भारत) की उपसदस्यता।

प्रोन्नतिः

वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹6600/- में उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा वाले सह नगर एवं ग्राम नियोजक जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ग्लोबल पोजीशानिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रण और विस्तृत सर्वेक्षण तथा मोबाईल मैपिंग प्रणाली प्रयोग करके टोटल स्टेशन, मैप अद्यतन एवं सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन सेवा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लिया हो।

(11)

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्त उनके द्वारा की गई ऐसी अईक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेंड वेतन ₹6600/- या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(12) समृह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए):

- अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
   अध्यक्ष;
- शहरी विकास मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - सदस्य;
- मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन - सदस्य।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्निति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):

- सचिव, शहरी विकास मंत्रालय – अध्यक्ष:
- शहरी विकास मंत्रालय के अपर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - सदस्य;
- मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन – सदस्य।

(13)
सीधी भर्ती और
प्रतिनियुक्ति (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी है) पर
किसी अधिकारी की
नियुक्ति करते समय
संघ लोक सेवा आयोग
से परामशं करना
आवश्यक है।

THE PURPOSET DE

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड वेतन में विलय किया गया हो और जहां इसका फायदा केवल उस पर (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सह नगर एवं ग्राम नियोजक	9* (2012) •कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन वैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹6600/-	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जाती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जे असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश

M
7
2
47
143
79
3

मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपु
सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य
लदाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश र
लाहोल एवं स्पीति जिला और चार
जिल का पांगी उप-प्रधाग अग्रहम
एवं निकाबार द्वीप समृह या लक्षतीय र
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

अनिवार्य:	(8)	(9)	122
आगवाय:			(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या आवासीय या देश या ग्रामीण या अवसंरचना या क्षेत्रीय या गिरवहन या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर हिग्री।  ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघाज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त नुसंघान संस्थाओं या सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों । अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन या विकास नियंत्रण । नगर नियोजन कानृन या भौगोलिक सूचना	आयु:-नहीं शैक्षिक अर्हताएं:-हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रोन्नित द्वारा पचा प्रतिशत जिसके न ह सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्ग अल्पकालिक संविद्य भी है) द्वारा; सीधी भर्ती द्वारा पचार प्रतिशत ।
णाली के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो। प्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों ते दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ तक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की त सकती है।			
प्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित तियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों ते दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ कि सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल ते जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में घ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि			
ाके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए  ा समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले भ्यधियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की भावना नहीं है।  छनीय:  ार नियोजक संस्थान (भारत) की उपसदस्यता।			

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY (11) (12) (13)प्रोन्ति: 'क' विभागीय सीधी प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति प्रतिनियुक्ति वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-एवं पुष्टि के संबंध में में उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा विचार करने के लिए): वाले सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक जिन्होंने किसी भी है) मान्यताप्राप्त संस्थान से शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के अधिकारी की शहरी विकास मंत्रालय लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सुचना प्रणाली के सचिव या अनुप्रयोग एवं सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान संयुक्त सचिव जिनके पास द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन सेवा पाठयक्रम में प्रशिक्षण आवश्यक है। नगर एवं ग्राम नियोजन लिया हो। संगठन के कार्य का प्रभार हो - अध्यक्ष: टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्ति के मुख्य नियोजक, लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजन व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते संगठन - सदस्य। उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या मख्य दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और नियोजक, नगर एवं ग्राम उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक नियोजन संगठन या या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ निदेशक. शहरी विकास अगले उच्चतर ग्रेंड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा मंत्रालय -सदस्य। की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों

पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी 雷):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन वैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेंड वेतन ₹5400/- या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है: और

भर्ती और (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा पर नियुक्तित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

(ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अईताएं और अनुभव है:-

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसो अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्तित के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई संवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तल्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड वेतन में विलय किया गया हो और जहां इसका फायदा केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	T (A)
4. सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	8* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹5400/-	लागू नहीं होता	(6)  35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकार कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तव शिथिल की जाती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से

निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लहाख प्रभाग और हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अण्डमान
एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

			कोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के यों के लिए विहित की गई है)।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या आवासीय या देश या ग्रामीण या अवसंरचना या क्षेत्रीय या परिवहन या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री।  या  केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन के क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योजना स्नातक या योजना में तकनीकी स्नातक।	तागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।  टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्यय- छुद्दी या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष या अधिक अविध के लिए पद से हटने से होने वाली रिक्ति के कारण केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकार द्वारा प्रतिनियुक्ति अधार पर भर्र जा सकती है:  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृशा पद धारण किए हुए है या
टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों को लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय:			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 ₹9300-34800/- + ग्रेड वेतन ₹4800/- या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- टिप्पण: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी

(i) नगर नियोजक संस्थान (भारत) की उपसदस्यता। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुप्रयोग में एक वर्ष का अनुभव हो।	है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
The state of the second of the state of the second with the second secon	The Armed Marketon of the scholarship of the schola

(11) लागू मही	(12)	(13)
होता	समृह 'क' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
SEE SAC	<ol> <li>शहरी विकास मंत्रालय के अधर सचिव या संयुक्त सचिव जिनके पास नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के कार्य का प्रभार हो - अध्यक्ष;</li> </ol>	i de la companya de l
1448	<ol> <li>मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन – सदस्य।</li> </ol>	
Marine September	<ol> <li>अपर मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन या निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य।</li> </ol>	
See Trans	areas to believe out - one amongofishing mailtean	

to the state of th

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/यूडी-II] के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

4793 aI/12-4

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(TOWN AND COUNTRY PLANNING ORGANISATION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2012

GS.R. 932(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Class I and II Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:—

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Additional Chief Planner, Town and Country Planner, Associate Town and Country Planner and Assistant Town and Country Planner (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
  - Disqualification.— No person,
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
       or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

The state of the state of the state of

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay	Whether selection post or	Age limit for
(1)	(2)		scale.	non-selection post.	recruits.
I. Additional	(2)	(3)	(4)	(5)	161
Chief Planner.	(2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial,	Pay band-4 ₹37400-67000/- plus grade pay ₹8700/	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion of by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by
(7)	(8)	(0)	various methods.
Not applicable.		(9)	(10)
applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

		contracty.
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.  (11)	Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
	(12)	(13)
Promotion: Town and Country Planner in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹7600/- with five years' regular service in the grade and have undergone training in Control and Detail Survey by Global Positioning System and Total Station, Map updation using Mobile Mapping System from a recognised Institution and Advanced Management Service Course organised by the Institute of Secretariat Training and Management.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is ess, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have liready completed such qualifying or ligibility service.	Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Urban Development in-charge of the Work of Town and Country Planning Organisation – Member;      Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

under 2 sententico la principal del ser

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short-term contract):
Officers of the Central Government or State
Governments or Union territories or
Universities or Recognised Research
Institutions or Public Sector Undertakings or
Semi-Government or Autonomous or
Statutory Organisations,—

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹7600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-
- (i) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognised University or Institute.
- (ii) Twelve years' professional experience in the field of Town and Regional Planning, out of which at least ten years must be in formulating and implementing urban and regional plans in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.  (1) (2) (3) (4) (5) (6)	and	(2012)	Central	Pay band-3	Selection.	Not exceeding 45 years
term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.  Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	2.Town	6*	General		Control of	(6)
term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.  Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade with		(2)	(3)	(4)	/ex	
as on the closing date of receipt of applications.	regular by 2006 or structure Sixth Control extended rendered pay so recomme except withan one grade with and when for the poscale is the end of t	basis by an of the date from based on the entral Pay shall be in the corre- ale extend indations of the here there had pre-revised the a common this benefit ost(s) for which the normal rep	ficer prior to 1  n which the re recommendati Commission deemed to be esponding grade ed based ne said Pay Con s been merger scale of pay grade pay or p will be exten	ried on a  "January, vised pay ons of the has been e service e pay or on the mmission of more into one ay scale, ded only		
exceed five years.	Note appoint term co as on	3: The ma ment by dep ntract) shall n the closing	not be a continued	ling short-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	200
2.Town and Country Planner.	(2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-3 ₹15600- 39100/- plus grade pay ₹7600/	Selection.	(Relaxable for Government servants upto five years' is accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

4793 61/12-5

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  (i) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognised University or Institute.  (ii) Ten years' experience in Urban and Regional Planning or Development Control or Planning Legislation or Geographic Information System in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.  Desirable:  Associate Membership of the Institute of Town Planners (India).	Age:-No. Educational Qualifications:- Yes.	One year for direct recruits.	33.33% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); 66.67% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Associate Town and Country Planner in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹6600/-with five years' regular service in the grade and have undergone training in Control and Detail Survey by Global Positioning System and Total Station, Map updation using Mobile Mapping System from a recognised Institution and Advanced Management Service Course organised by the Institute of Secretariat Training and Management.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman;  2. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Urban Development in-charge of the Work of Town and	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or

Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations.—

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹6600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
- Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the

Country Planning Organisation – Member;

Chief Planner,
 Town and Country Planning
 Organisation - Member.;

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:

- Secretary, Ministry of Urban Developmet Chairman;
- 2. Additional
  Secretary or Joint Secretary
  in the Ministry of Urban
  Development in-charge of
  the Work of Town and
  Country Planning
  Organisation Member;
- Chief Planner,
  Town and Country Planning
  Organisation Member.

recommendations of the Sixth Central Pay Commission
has been extended, shall be deemed to be service
rendered in the corresponding grade pay or pay scale
extended based on the recommendations of the said
Pay Commission except where there has been merger
of more than one pre-revised scale of pay into one
grade with a common grade pay or pay scale, and
where this benefit will be extended only for the post(s)
for which that grade pay or pay scale is the normal
replacement grade without any upgradation.

713	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 3.Associate Town and Country Planner.	9* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-3 ₹15600- 39100/- plus grade pay ₹6600/	Selection.	Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Centra Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh division of Jammand Kashmir State, Lahau and Spiti district and Pang sub-division of Chamb district of Himacha Pradesh, Andaman an Nicobar Islands of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:  (i) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognised University or Institute.  (ii) Five years' experience in the field of Urban and Regional Planning or Development Control or Town Planning Laws or Geographic Information System in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or	Age:-No. Educational Qualifications:- Yes.	One year for direct recruits	Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); Fifty percent by direct recruitment.

4793 65/12-6

Semi-Government or Autonomous Statutory Organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient of candidates from these number communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Associate Membership of the Institute of Town Planners, India.

(11)	(12)	(13)
Assistant Town and Country Planner in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400/- with five years' regular service in the grade and have undergone training in Remote Sensing and Geographic Information Systems Application to Urban and Regional Planning from a recognised Institution and the Advanced Management Service Course organised by the Institute of Secretariat Training and Management.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st lanuary, 2006 or the date from which the revised bay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:  1. Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Urban Development in-charge of the Work of Town and Country Planning Organisation – Chairman;  2. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation – Member;  3. Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation or Director, Ministry of Urban Development – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short-term contract).

to compare the second state of a measure in this payer with a comment in

Bit of the state o

SAN THE SAN TH

A page of the page of the page of

Andrew to sellent so to being a serie

Eleganica (Ven de disployant Region) i dell'

the same of the sa Special library and street and street and street

in instrument with the property of the property of

with the state of the state of

Mary all selectors in their and the

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

Service and the service of the servi

the A business may be a feared by Bar.

Citizan Maria Salah Maria

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

County of the second of the second of the second

at a light of the color of the separate

based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations,-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including shortterm contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.Assistant Town and Country Planner.	8* (2012) *Subject to variation dependent on work load,	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-3 ₹15600- 39100/- plus grade pay ₹5400/	(5) Not applicable.	Not exceeding 35 years  (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba
					district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognised University or Institute.  or  Bachelor of Planning from a recognised university or Institute with three years' experience in the field of Urban or Regional Planning in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	(9) One year.	(10)  By direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government,—  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or  (ii) with two years regular service in the grade in posts in pay band-2 ₹9300-34800/- plus grade pay of ₹4800/- or equivalent in the parent cadre or Department; and
Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the			qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).  Note: The maximum age limit for appointment by deputation

Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	as on the closing date of receip of applications.
Desirable: (i) Associate Membership of the Institute of Town Planners, India.	
(ii) One year experience in Remote Sensing and Geographic Information System Application in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations.	

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.
	Additional Secretary or Joint Secretary in the Ministry of Urban Development in-charge of the Work of Town and Country Planning Organisation – Chairman;	
	Chief Planner, Town and Country Planning     Organisation – Member;	Sull Sall and Sall an
	3. Additional Chief Planner, Town and Country Planning Organisation or Director, Ministry of Urban Development – Member.	of se entirely to make

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-II]

K. G. MOHANTA, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2012

सा.का.चि. 933(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (वर्ग 1 एवं वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध सह वास्तुकार के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में सह वास्तुकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, सह वास्तुकार (समूह 'क' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2012 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं ।

4793 GI/12-7

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1) सह वास्तुकार	(2) 1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	(3) साधारण केंद्रीय सेवा, समृह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	(4) वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेड वेतन ₹6600/-	(5) लागू नही होता	(6) लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू मही होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या	er ent sid e ent sid	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामशं करना आवश्यक है।
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-3 ₹15600-39100/- + ग्रेंड वेतन ₹5400/- या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हैं; और	Migr. free	
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- अनिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री;		

- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के वास्तु या नियोजन कार्यालय में भवन के डिजाइन या विर्किंग ड्राइंग या प्रस्तुतिकरण ड्राइंग या योजना ले आउट या भूमि उपयोग योजना या विस्तृत विकास योजना तैयार करने के कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव।
- (iii) वास्तुकला परिषद् से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

## वांछनीय:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नगर या शहर या शहरी या परिवहन या पर्यावरण नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य कांडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वंतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ा दिया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड वेतन में विलय किया गया हो और जहां इसका फायदा केवल उस पर (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

[फा. सं. ए-12018/3/2001/टीसीपीओ/प्रशा.-III/यूडी-II] के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2012

GS.R. 933(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Town and Country Planning Organisation (Class I and II Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Associate Architect, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Associate Architect in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:—

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Associate Architect (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - Disqualification. No person,
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# SCHEDULE

Name of post,	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	scale.		
Associate	10	100	(4)	(5)	(6)
Architect.	*Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted , Non- Ministerial.	Pay band-3 ₹15600- 39100/- plus grade pay ₹6600/	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	THE RESPONDENCE OF THE PARTY.	of Method of recruitmen whether by direct recruitmen or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

Control of the Contro		
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract):  Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations,—  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or  (ii) with five years regular service in the grade in posts in pay band-3 ₹15600-39100/- plus grade pay of ₹5400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and  (b) possessing the following educational qualifications and experience:—  (a)(b) Degree in Apolitects of the Central Governments of the Central Governments or Statutory Organisations,—  (b) Degree in Apolitects of the Central Governments or Recognised Research Institutions of Recognised Recogni	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.
i) Degree in Architecture from a recognised University or nstitute;	THE WORLD'S LICENSES	

(ii) five years' experience in an Architectural or a Planning office in the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations in the work of preparing building design drawings or working drawings or presentation drawings or lay out plans or land use plans or detailed development plans;

(iii) must be registered with the Council of Architecture.

#### Desirable:

Post graduate degree or post graduate diploma in Town or City or Urban or Regional or Transport or Environmental Planning from a recognised University or Institute.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will be extended only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-II]
K. G. MOHANTA, Under Secy.